mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र/बी-6धनि0धवि.अनु./साक्षी कंज्यूमर्स/642/731 भोपाल दिनांक22/02/2022

प्रति,

श्री एन.एस.परिहार
डायरेक्टर
मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड
सांई सदन साक्षी निवास, पेट्रोल पंप के पास
सिहोरा कांकरदेही मझौली,
जिला जबलपुर म0प्र0

विषयः-म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे

संदर्भः-आपका पत्र क्रमांक/एससीपीएल/07/2021/49 दिनांक 26/07/2021

मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मझौली जिला जबलपुर के द्वारा म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप-एक मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमे कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर, सिहोरा की उपमण्डी मझौली एवं दमोह मे कृषि उपज का कारोबार किये जाने हेतु अनुमति चाही गई है।

आपके द्वारा नवीन विशेष अनुज्ञप्ति के लिये जाने हेतु नियम-2009 के नियम 4(2) के अधीन विनिर्दिष्ट समूह (चार) - तिलहन एवं (पांच) - धान्य तथा दलहन की खरीदी हेतु आवेदन मे उल्लेख किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, **1972** की धारा **32**-क के अधीन म**0**प्र**0** कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10, 12** के अनुसार मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मझौली जिला जबलपुर म0प्र0 को **कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर**, **सिहोरा की उपमण्डी मझौली एवं दमोह** मे अधिसूचित कृषि उपज केवल **विनिर्दिष्ट समूह (चार)-तिलहन एवं (पांच)-धान्य तथा दलहन के** व्यवसाय हेतु एक वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप-**3** मे परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बी-6/नि0/वि.अनु./साक्षी कंज्यूमर्स/642/ 732          भोपाल दिनांक22/02/2022

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मझौली जिला जबलपुर म0प्र0 को म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर, सिहोरा की उपमण्डी मझौली एवं दमोह मे उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन" एवं "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.................................. जिला.................................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, **2009** (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** एवं **12** के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन" एवं "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है, की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड, मझौली जिला जबलपुर मध्यप्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक/सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2022/04 दिनांक 22/02/2022
(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1. मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड पता सांई सदन साक्षी निवास, पेट्रोल पंप के पास, सिहोरा कांकरदेही मझौली, जिला जबलपुर म0प्र0 को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख बाईस....माह फरवरी वर्ष 2022 को विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप एक वर्ष के लिए दी जाती है :-

| अनु क्र0 | अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ की गई है। | विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है | संबंधित मंडी समिति का नाम | विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम | कारबार का स्थान , कार्यालय का पता | कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | तिलहन, धान्य तथा दलहन | जबलपुर | कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर जिला जबलपुर | निरंक | निरंक | श्री एन.एस. परिहार, डायरेक्टर, मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | तिलहन, धान्य तथा दलहन | सिहोरा उपमंडी-मझौली | कृषि उपज मण्डी समिति सिहोरा जिला जबलपुर उपमंडी-मझौली | निरंक | निरंक | श्री एन.एस. परिहार, डायरेक्टर, मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | तिलहन, धान्य तथा दलहन | दमोह | कृषि उपज मण्डी समिति दमोह जिला दमोह | निरंक | निरंक | श्री एन.एस. परिहार, डायरेक्टर, मेसर्स साक्षी कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड |

2 - इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

| अनु क्र0 | अधिसूचित कृषि उपज का नाम | प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए} |
|---|---|---|
| 1 | तिलहन | 2000 मे0टन |
| 2 | धान्य तथा दलहन | 2000 मे0टन |

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगाः-

| |
|---|
| 1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज |
| 2. पेयजल की समुचित व्यवस्था |
| 3. समुचित प्रकाश व्यवस्था |
| 4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा |
| 5. शेड की व्यवस्था |
| 6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल |
| 7. भुगतान काउन्टर |
| 8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समूचित व्यवस्था |
| 9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति |
| 10.प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना। |
| 11.क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण। |

4. यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक ..22../02/2022 से ..21../02/2023 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5. यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगीः-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,
(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,

(पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

| | |
|---|---|
| अनुज्ञप्ति जारीकर्ता | अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी |
| कार्यालय की मोहर | प्रबंध संचालक सह आयुक्त<br>मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड<br>भोपाल |

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)